फर्द अहकाम

जितेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर

पत्रः 470/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.06.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम सालगरामपुरा, पटवार हल्का विधाणी, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 77 के खसरा नम्बरान 422/441, 548/423, 550/373 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3785 है0 व प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 552/373 रकबा 0. 9940 है0 व प्रार्थी सख्या 2 की खातेदारी भूमि खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 549/373 रकबा 0.0050 है0 तथा प्रार्थी संख्या 1 की खातेरी भूमि खाता संख्या 115 के खसरा नम्बरान 546/423, 547/423, 551/374 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7825 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांकःभु0अ0/सीमा/25/3789 दिनांक 13.05.2025 की पालना में दिनांक 19.05.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष खसरा नम्बर 385, 416/2, 357, 342 किश्म गै.मु. चाह को मुस्तकिल मुकाम बिन्दु लेते हुए सीमांकन की जानकारी दी व सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बावत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सालगरामपुरा, पटवार हल्का विधाणी, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बरान 422/441, 548/423, 550/373, 552/374, 549/373, 546/423, 547/423, 551/374 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 19.05.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	